

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 277]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 सितम्बर 2024—आश्विन 3, शक 1946

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2024

क्र. 3154-2124223-2024-दो-सी-2.—राज्य सरकार, एतद्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन) के पत्र क्र. 33-03-2021-NDM-I, दिनांक 12 जनवरी 2022 द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा जारी Guidelines on constitution and administration of the State Disaster Response Fund की कंडिका 3.2 अनुसार लू (तापघात) को स्थानीय आपदा (Disaster within the local context) अधिसूचित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एस. मीना, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2024

क्र. 3154-2124223-2024-दो-सी-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एस. मीना, अपर सचिव.

Bhopal, the 25<sup>th</sup> September 2024

No. 3154-2124223-2024-Two-C-2.—The State Government, hereby, notifies heat wave as local disaster (Disasters within the local context) as per clause 3.2 of the Disaster Management Act, 2005 and Guidelines on constitution and administration of the State Disaster Response Fund issued by letter No.33-03-2021-NDM-I, dated 12<sup>th</sup> January 2022 of the Government of India, Ministry of Home Affairs (Disaster Management).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
H. S. MEENA, Addl. Secy.